

भारत के राजपत्र, असाधारण भाग III, खंड 4 में प्रकाशनार्थ

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 14 अगस्त 2024

सं.आरजी-8/1/(9)/2021-बी और सीएस(1 और 3).--- भारत के राजपत्र, असाधारण भाग III, खंड 4, क्र.सं. 499 में प्रकाशित, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की अधिसूचना संख्या आर जी-8/1/(9)/2021-बी और सीएस(1 और 3) दिनांक 8 जुलाई 2024 में --

पृष्ठ संख्या 7 पर, विनियम 15(क) में, शब्द "शीर्षक और उप-मद (क) के लिए", को "शीर्षक और उप-मद (क) और (ख) के लिए" के रूप में पढ़ा जाए ।

(अतुल कुमार चौधरी)

सचिव, भाद्विप्रा